

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

रामन तैय्यागारि बनाम गुरपरण सिंह आदि

संख्या 60/2021 अन्तर्गत धारा 312 RTA

नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए

30/09/24

वकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहब अवकाश पर पत्रावली दिनांक 30/10/24 को पेश है। Kamran

30/10/24

अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथमिक पत्र हेतु समय चाहिए। ग 1 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथमिक पत्र दिनांक 2/12/24 को पेश हो।

2/12/24

अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथमिक पत्र हेतु समय चाहिए। ग 1 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथमिक पत्र दिनांक 26/12/24 को पेश हो।

26/12/24

अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथमिक पत्र हेतु समय चाहिए। ग 1 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथमिक पत्र दिनांक 28/01/25 को पेश हो।

28/01/25

अधिवक्तागण उपस्थित। अप्रार्थी स 3/11/24 की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर वेद किया जाता है। अप्रार्थी से 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस खती गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राथमिक पत्र का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 29/07/2021 प्रलयाव के निर्णय तक स्थगित की जाती है। पत्रावली निर्णय लेकर प्रलयाव के साथ सलग्न हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर